

राजरस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजरस्थान आवासन मण्डल की 250वीं बैठक दिनांक 28.02.2025 को सायं 04:00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1 श्री वैभव गालरिया	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2 श्री राकेश गुप्ता	शासन उप सचिव-II (प्रतिनिधि) प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3 डॉ. रश्मि शर्मा	आवासन आयुक्त, राज.आवासन मण्डल	सदस्य
4 श्री मुकेश चन्द मित्तल	मुख्य नगर नियोजक राजस्थान	सदस्य

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री देवाशीष पृष्टि द्वारा बजट कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1 डॉ. अनिल कुमार	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल
2 श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
3 श्री रोहिताश यादव	वित्तीय सलाहकार
4 श्री गिरधारी लाल जाखड	निदेशक विधि
5 श्री तेजवीर सिंह मीणा	मुख्य अभियन्ता (मु.) एवं प्रथम
6 श्री प्रतीक श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता-द्वितीय एवं अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम
7 श्री अनिल माथुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
8 श्री हंसराज दुपगा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय
9 श्री भगवान सहाय	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर

-:: कार्यवाही विवरण ::-

विचार बिन्दु सं	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
250.1	दिनांक 30.09.2023 को सम्पन्न हुई मण्डल की 249वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि	दिनांक 30.09.23023 को सम्पन्न हुई मण्डल की 249वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
250.2	दिनांक 30.09.2023 को सम्पन्न हुई मण्डल की 249वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ	विचार विमर्श उपरान्त दिनांक 30.09.2023 को सम्पन्न हुई मण्डल की 249वीं बैठक के निर्णयों का अवलोकन किया गया।	Secretary
250.3	श्री कानाराम चौधरी को प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में खुली बिक्री में	श्री कानाराम चौधरी को प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आवंटित	CEM

	आवंटित आवास संख्या 102/60 का पंजीकरण/आवंटन बहाल कर भौतिक कब्जा दिये जाने के संबंध में।	आवास सं.102/60 का आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा चुका है। उप आवासन आयुक्त को अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया जाता है।	
250.4	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 3 (जोन-32) ब्लॉक-ए, ब्लॉक-बी एवं ब्लॉक-सी के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
250.5	Ex-post facto approval of Bid for Construction of MIG-B (2B+S+13) 65 Flats Block-A, Mahi Apartment at Sector-23, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
250.6	Ex-post facto approval of Bid for Construction of MIG-B (2B+S+13) 78 Flats Block-E, Mahi Apartment at Sector-23, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
250.7	Ex-post facto approval of Bid for Construction of Samridhi Apartment-I MIG-A-96 Nos. Flats (S+6) at Sector-22, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
250.8	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर-22 में प्रस्तावित समृद्धि अपार्टमेन्ट-I में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-अ (S+6) के 96 फ्लेट्स के निर्माण हेतु संचालक मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई राशि रुपये 1607.03 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	CE-I

250.9	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर-23 में प्रस्तावित माही अपार्टमेन्ट में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-ब (2B+S+13) के 26 फ्लेट्स ब्लॉक-डी के निर्माण हेतु संचालक मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई राशि रुपये 1216.42 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	CE-I
250.10	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, जयपुर के सेक्टर-28 में आर. एच.बी. ग्रीनवुड मेन्शन योजना में 164 विलाज एवं 132 दुकानों के शॉपिंग आर्केड के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 125.17 करोड़ की राज्य सरकार द्वारा संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर अनुमोदन बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	CE-I
250.11	राजस्थान आवासन बोर्ड की आगामी बोर्ड बैठक में मण्डल के संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2023-24 तथा बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के अनुमोदन हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	FA
250.12	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियमों में भर्ती हेतु क्रम संख्या 18 पर अंकित राष्ट्रीयता एवं 19 पर अंकित आयु में राज्य सरकार के प्रावधानों अनुसार संशोधन करने एवं सी-डेक एजेन्सी से करवायी गई भर्ती की स्वीकृति बाबत।	सी-डेक द्वारा की गई सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया। कनिष्ठ सहायक के बी.सी. श्रेणी के 7 पदों पर अतिरिक्त Waiting List जारी कर दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पार्ट-II परीक्षा आयोजित कराने हेतु सी-डेक एजेन्सी को निर्देशित किये जाने के प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन किया गया।	Secretary

250.13	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर-23 में प्रस्तावित माही अपार्टमेंट में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-ब (2B+S+13) के 52 फ्लैट्स, ब्लॉक-सी के निर्माण हेतु संचालक मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई राशि रुपये 1396.15 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	CE-I
250.14	माया आई हॉस्पिटल, 94/200, मेन विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर, को चिकित्सा सुविधार्थ मण्डल कार्मिकों हेतु अधिकृत किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	Secretary
250.15	विजन फर्स्ट आई हॉस्पिटल, इन्दिरा गाँधी नगर, सेक्टर-01, जगतपुरा, जयपुर को चिकित्सा सुविधार्थ मण्डल कार्मिकों हेतु अधिकृत किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	Secretary
250.16	श्री सतीश कुमार अग्रावत, सहायक प्रबंधक, श्री बलभद्र कुमार दीक्षित, वाहन चालक, श्री चन्दन सिंह, जमादार एवं श्री कमल राय, जमादार को मण्डल में आमेलन (मर्ज) किये जाने के संबंध में।	मण्डल में आवश्यकता का आकलन एवं परीक्षण उपरान्त पुनः प्रस्तुत करे।	Secretary
250.17	सेक्टर 04 व 05, बाड़ी रोड़ आवासीय योजना धौलपुर की जलयोजना कार्य हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 264.66 लाख की वैद्यता अवधि दिनांक 27.07.2026 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रकरण में वैद्यता अवधि दिनांक 27.07.2026 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।	CE-I
250.18	राजस्थान आवासन मण्डल की बडली आवासीय योजना, जोधपुर के सेक्टर-5(A) जोन-F में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग के 124 आवासों हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1161.82 लाख के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-II

250.19	राजस्थान आवासन मण्डल की बडली आवासीय योजना, जोधपुर के सेक्टर-5(A), जोन-C में निर्माणाधीन आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 186 आवासों हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1028.99 लाख के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-II
250.20	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर में प्रस्तावित एमएनआईटी फेकल्टी रेजीडेन्सी योजना में 124 प्लैट्स (उच्च आय वर्ग प्रथम के 50, उच्च आय वर्ग द्वितीय के 50, उच्च आय वर्ग तृतीय के 12 एवं उच्च आय वर्ग चतुर्थ के 12) के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालक मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी राशि रु. 11296.10 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संचालक मण्डल से अनुमोदन प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदित किया गया।	CE-I
250.21	विभागीय पदोन्नति वर्ष 2024-25 में राजसेवकों को पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में शिथिलन दिए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
250.22	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा महिला आवासीय योजना, जयपुर में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 49 आवास ब्लॉक "डी", अल्प आय वर्ग के 214 आवास ब्लॉक "ई व. जी" मध्यम आय वर्ग-अ के 102 ब्लॉक "जी" के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालक मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी राशि रु. 2504.59 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संचालक मण्डल से कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

250.23	श्री मनीष मिर्धा, कनिष्ठ अभियन्ता (परियोजना अभियन्ता, कनिष्ठ), नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर श्रीमती ज्योति चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत (परियोजना अभियन्ता कनिष्ठ (विद्युत)) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड श्रीमती प्रीति सिडाना, वरिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को मण्डल में आमेलन (मर्ज) करने के संबंध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। वित्तीय सलाहकार व सचिव को एक माह में पेंशन, जीपीएफ, वरिष्ठता, पे-प्रोटेक्शन, पूर्व सेवा की अवधि के संबंध में मण्डल के पूर्व निर्णयों, रेग्यूलेशन, आरएसआर आदि के क्रम में सुझाव देने हेतु निर्देशित किया गया है।	Secretary
250.24	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
250.25	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) संचालक मण्डल से अनुमोदनार्थ एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदित किया गया।	FA
250.26	वित्तीय वर्ष 2023-24 (कर निर्धारण वर्ष 2024-25) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (वैधानिक अंकेक्षक) की नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
250.27	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
250.28	आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2024-25 की अवधि दिनांक 01.07.2024 से 30.06.2025 की संचालक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	FA

250.29	आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2023-24 की शेष अवधि दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2024 की संचालक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
250.30	राज्य सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के जारी दो नोटिफिकेशन क्रमांक F.12(4)FD/Rules/2024 दिनांक 11.09.2024 एवं F.12(3)FD/Rules/2023 दिनांक 20.09.2024 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन (पेंशन) नियम 1996 में किये गये क्रमशः (पेंशन) (एमेण्डमेन्ट) एवं पेंशन (द्वितीय एमेण्डमेन्ट) रूल्स 2024 जिन्हें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी किये गये हैं, को राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाने के सन्दर्भ में जारी किये गए कार्यालय आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
250.31	राजस्थान आवासन मण्डल (मु.) में उच्च अधिकारियों के यात्रा हेतु 02 नये वाहन खरीद किये जाने बाबत।	विचार विमर्श उपरान्त 02 इनोवा वाहन क्रय करने की अनुमति दी गई।	Secretary
250.32	मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 240 आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के बहुमंजिले (G+10) फ्लेट्स, ब्लॉक-डी, सेक्टर-28, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर के निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 1389.70 लाख के अनुमोदन बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदित किया गया।	CE-I
250.33	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर नया आई.पी.डी. टावर एवं हृदय रोग संस्थान के निर्माण में मण्डल राशि भुगतान की स्वीकृति/अनुमोदन।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	FA

250.34	भूखण्ड संख्या 28/सी/02, आयुष मार्केट, प्रताप नगर क्षेत्रफल 141.76 वर्गमीटर के बदले समतुल्य भूमि अन्यत्र देने के संबंध में।	प्रकरण को Defer किया गया।	CEM
250.35	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बड़ली आवासीय योजना, जोधपुर के सेक्टर 03 व 04 में विभिन्न आय वर्ग के 667 आवासों (उच्च आय वर्ग-1 के 52 एवं 11 के 36, मध्यम आय वर्ग-ब-1 के 94 एवं 11 के 63, मध्यम आय वर्ग-अ-1 के 137 एवं 11 के 182 और अल्प आय वर्ग के 103) के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालक मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी राशि रु. 9723.21 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संचालक मण्डल से अनुमोदन प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार विचार विमर्श उपरान्त अनुमोदित किया गया।	CE-II
250.36	रामाकृष्णापुरम आवासीय योजना कोटपूतली योजना के निरस्त आवास संख्या-1-एफ-16 को संचालन मण्डल बैठक में आवश्यक निर्णय बाबत।	बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से 6 माह से अधिक का विलम्ब होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।	CEM
250.37	रामाकृष्णापुरम आवासीय योजना कोटपूतली योजना के निरस्त आवास संख्या-1-एफ-17 को संचालन मण्डल बैठक में आवश्यक निर्णय बाबत।	बोर्ड द्वारा राजकीय अवकाशों के कारण 5 दिन के विलम्ब को नियमित करने एवं निरस्त प्रकरण को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया गया।	CEM

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ. अमिल कुमार)
सचिव